

(नियम 26)


फर्द अहकाम

न्यायालय संभागीय आयुक्त, मुकाम सीकर

मूलचन्द बनाम राजस्थान सरकार

किस्म. मुकदमा:- अपील अ0 धारा 76 भू रा0 अधि0

अपील सं0 871/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.01.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी कि ओर से श्री महेन्द्र जाखड़ ने वकालतनामा मय आवेदन बाबत अपील को नोटप्रेस में खारिज किये जाने हेतु का पेश किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट हुआ की माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा आदेश दिनांक 25.08.2021 में आदेश दिनांक 24.09.20218 को निरस्त करते हुए गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करने के दिशा निर्देश दिये है।</p> <p>पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी कि किस्म गैर मुमकिन पहाड़ दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है तथा अपीलार्थी ने भी अपील नोटप्रेस में खारिज किये जाने का आवेदन किया है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज कि जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p> (डा० मोहन लाल यादव) संभागीय आयुक्त, सीकर</p>	